9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
11. अपर मुख्य प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
12. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः–एम0ई0–3/2023/2334 दिनांकः 22/9/2023

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, एन0एम0सी0,/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस आशय से उक्त शासनादेश को www.upneet.gov.in वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा/पी0जी0आई0सी0एच0, नोएडा/क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर।
5. समस्त नामित सदस्य/सह–सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड, यू0पी0 नीट पी0जी0–2023
6. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/आगरा/गोरखपुर/मेरठ/झाँसी/प्रयागराज/कन्नौज/जालौन/बाँदा/सहारनपुर/आजमगढ़।
7. समस्त नोडल सेन्टर यू0पी0 नीट पी0जी0–2023(प्रवेश प्रक्रिया)
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज, उ0प्र0।
9. विभागीय वेबसाइट।

(एस0पी0सिंह)
प्रशासकीय परामर्शी।

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 21 सितम्बर, 2023**

विषयः- शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/ एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण संबंधी संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/2023/1658, दिनांक-01.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 के आई0ए0 नं0 132614/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 तथा तत्क्रम में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के पत्रांक N-P019(20)/5/2023-PGMEB-NMC/044351 Dated: 24-07-2023 द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों मे संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/ एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0/एम0डी0एस0) में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-I/348793/2023/71-4099/1229/2019 दिनांक-13.07.2023 के बिन्दु संख्या-11 के अंतिम प्रस्तर में माप-अप राउण्ड के पश्चात रिक्त सीटों के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- माप-अप राउण्ड के पश्चात रिक्त सीटों हेतु स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड का आयोजन आन-लाइन के माध्यम से सम्पन्न कराया जाय।
- स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 की वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** पर रू0 2000/- पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

- स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड हेतु धरोहर धनराशि (Security money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों की सीट हेतु रू० 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीट हेतु रू० 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों हेतु रू० 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा कराया जाय।
- स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड हेतु वहीं अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू0 पी0 नीट पी0 जी0-2023 के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग से तथा आल इंडिया कोटा एवं अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त न हुआ हो।
- स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाय।
- यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0 पी0 नीट पी0 जी0 काउन्सिलिंग 2024-2025 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाय।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-13.07.2023 के बिन्दु संख्या-11 के अंतिम प्रस्तर में माप-अप राउण्ड के पश्चात रिक्त सीटों के संबंध में प्रदत्त निर्देश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Signed by अनिल कुमार सिंह
Date: 21-09-2023 17:20:19
Reason: Approved

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि श्री राम यज्ञ मिश्र, विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन)।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
3. कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0, लखनऊ।
6. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0, योजना भवन, लखनऊ।